न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 126/2026 पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पूर्व

जमानत आवेदन संख्या : 99/2026

सी आई एस नं0 : 96/2026

1. विकाश मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांव माली हाला बांसखो पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पूर्व।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 119(1), 189(2), 304(2) बी.एन.एस. पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पूर्व

उपस्थिति :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी नारायण मीणा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

: आदेश : दिनांक : 07.05.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस के अधीन न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–12, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा दिनांक 04.05.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। बहस सुनी गई तथा केस डायरी तलब कर अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के समस्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण के परिवादी ओमप्रकाश मीना ने पुलिस थाना बस्सी के समक्ष इस आशय की लिखित रिपोर्ट पेश की, कि दिनांक 19.02.2026 को 04 बजे हमारे गांव से भात में दौसा जा रहे थे। रास्ते में बांसखो गांव से आगे फाटक की तरफ आते ही शराब के ठेके के पास लगभग 5–6 मोटरसाईकिल पर

10–12 लड़के आए तथा हमारी गाडी रूकवा दी व उसकी शर्ट की जेब में हाथ डाला, विरोध करने पर इन लोगों ने उसके, अविनाश व अंकित के साथ मारपीट की तथा जबरदस्ती शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे तथा उसकी शर्ट की जेब से 13000/– रूपये निकाल लिए। ये लोग आपस में एक–दूसरे को विकास, सोनू, हरिमोहन, शिवांश, जितेश व दिलराज कहकर पुकार रहे थे। पुलिस के सहयोग से हमने एक लड़के विकास को पकड़कर पुलिस के हवाले किया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बस्सी जयपुर पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण में अब तक के अनुसंधान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 304(2), 119(1) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में अभियुक्त को गलत आधारों पर फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी व अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त घटनाक्रम के समय बाजार में घरेलू सामान खरीदने आया था। प्रकरण ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट है एवं अनुसंधान में समय लगेगा। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उनके के लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत मुचलकों पर रिहा करने का निवेदन किया।

4. दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्त अधिवक्ता के उपरोक्त कथनों का विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।

6 केस डायरी का अवलोकन करने से यह दर्शित होता है कि यह प्रकरण परिवादी ओमप्रकाश मीना के द्वारा 10–12 लड़कों द्वारा उससे शराब के पैसे मांगने एवं उसके द्वारा नहीं देने पर उसके साथ मारपीट कर उसकी शर्ट की जेब से 13,000/– रूपये जबरदस्ती निकालकर ले जाने के संबंध में दी गई रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है। प्रकरण में अभियुक्त विकास मीना के विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है तथा अभियुक्त नवयुवक हैं, जो लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा से निरूद्ध है तथा प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा उक्त प्रकरण में सहअभियुक्तगण शिवांश एवं सुमेर मीना का जमानत आवेदन दिनांक 09.03.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। ऐसे में प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

आदेश

7. फलतः अभियुक्त विकाश मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000–25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें, तो उन्हें तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम

8. आदेश आज **दिनांक 07.05.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम